न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 82/2014

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1 रविन्द्र कुमार पुत्र बलवन्तराज जाति जैन (काटेड़) निवासी स्ट्रीट, तृतीय मैन रोड़, आनन्द नगर, चैन्नई		1 उर्मिला पत्नि पुष्पतराज जाति मुणोत निवासी मुणौतों का बास, सोजतसिटी
2 बसन्ता पुत्री बलवन्तराज पत्नी टी. महेन्द्र कुमार जाति जैन निवासी 126 विलह रोड़, कोक्सटाऊन, बैंगलोर		2 चन्दबाई पत्नि महेन्द्र कुमार जाति जैन काटेड़ निवासी 12, Pillar kovil street Pooramalli, Chennai
3 कांता पुत्री बलवन्तराज पत्नि एम. अशोक कुमार जाति जैन (काटेड़) निवासी 38/3 एरकोट स्ट्रीट, पाण्डे बाजार, टी. नगर, चैन्नई		3 हरिश कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार जैन काटेड़ निवासी 12, Pillar kovil street Pooramalli, Chennai
		4 गिरीश कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार जैन काटेड़ निवासी 12, Pillar kovil street Pooramalli, Chennai
		5 तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री धर्मीचन्द देवासी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
2. श्री गजेन्द्र दवे, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

–: निर्णय :–

दिनांक : 19.12.17

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 07/2006 उर्मिला बनाम विरेन्द्र कुमार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.03.2006 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट उर्मिलादेवी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट एवं अन्य रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध वाद प्रस्तुत कर मौजा सोजत चक II के खसरा न्म्बर 1693 रकबा 0.3600 हैक्टेयर की भूमि में से अपने हिस्से की भूमि का विभाजन कराने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। इसके पश्चात अखबार में प्रकाशित करवाया जाकर विधि विरूद्ध तरीके से अपीलाण्ट को बिना कोई सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये, जैर अपील आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये बिल्कुल गलत एवं सिविल प्रक्रिया संहिता में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना किए बिना निर्णय एवं डिक्री पारित की है। जिस स्थान को

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपीलाण्ट का निवास अंकित कर सम्मन जारी किये गये, उस स्थान पर अपीलाण्ट निवास ही नही करते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए प्रतिवादीगण के सम्मत अखबार में प्रकाशन करवाये जाकर बिना सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये, जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है। जो विधि विरूद्ध है। लिहाजा अपील स्वीकार करावे एवं जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त करावे एवं अपीलाण्ट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कराते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर अपनी सह खातेदारी भूमि के विधिक विभाजन का अनुतोष चाहा। प्रतिवादीगण का पता राजस्व रेकर्ड में बगडी नगर अंकित था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा बगडी नगर में प्रतिवादीगण के वास्तविक पते की जानकारी प्राप्त करने पर प्रतिवादीगण चैन्नई एवं बैंगलोर में निवास करना बताया। इस पर वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 5 नियम 20 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम जारी सम्मत अखबार में प्रकाशन करवाने की अनुमति प्रदान की। इस पर वादी द्वारा प्रतिवादीगण के नाम जारी सम्मन अखबार में प्रकाशित करवाये। इसके पश्चात प्रतिवादीगण न्यायालय में समक्ष उपस्थित नही होने के कारण न्यायालय द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी की एवं प्राथमिक डिक्री की पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अन्तिम डिक्री जारी की। उक्त भूमि का मौके पर विभाजन पूर्व में ही हो चुका था, किन्तु राजस्व रेकर्ड में विभाजन नही हुआ था। जो विभाजन होने के पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण भी करवाया गया। वर्तमान में भूमि मौके पर आवासीय है। दावे में निर्णय पारित होने के 10 वर्ष पश्चात हस्तगत अपील प्रस्तुत की है, जो पोषणीय नही है। अपीलाण्ट 10 वर्ष तक अपनी भूमि पर आये ही नही, यह तथ्य सत्य नही है। अपीलाण्ट को उक्त प्रकरण की पूर्ण जानकारी थी। वर्तमान में भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग में अवाप्त होने के कारण यह अपील प्रस्तुत की है। जब भूमि अवाप्त नही हुई थी, तब इन्हे भूमि सड़क पर होने के कारण लाभ था, किन्तु अब भूमि अवाप्त होने के कारण अपील प्रस्तुत कर दी, जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री पूर्णतः विधि सम्मत है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नही है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा दिनांक 25.01.2006 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर ग्राम सोजत चक II के खसरा नम्बर 1693 रकबा 0.3600 हैक्टेयर की भूमि में वादीया का 2/3 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण का 1/5 हिस्से की भूमि का विधिक विभाजन कराने का निवेदन किया। वादीया द्वारा अपने वाद में प्रतिवादीगण का पता बगडी हाल मद्रास का पता अंकित किया तथा साथ ही आदेश 5 नियम 20 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण के सम्मन अखबार में साया करवाने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के सम्मन

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अखबार में प्रकाशित करवानें की अनुमति प्रदान की। इस पर प्रतिवादीगण के सम्मन राजस्थान पत्रिक चैन्नई संस्करण में दिनांक 11.02.2006 को प्रकाशित किये गये। इसके पश्चात प्रतिवादीगण न्यायालय के समक्ष अनुपस्थित रहने के कारण वादी पक्ष के बयान कलमबद्ध किये जाकर प्रकरण में दिनांक 02.03.2006 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं इसके पश्चात तहसीलदार सोजत द्वारा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर दिनांक 10.03.2006 को प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी की गई। जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की है। जैर अपील निर्णय पारित होने के पश्चात भूमि का संपरिवर्तन हो चुका है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट ने अपनी अपील को अन्दर म्याद शुमार करवाने हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। इस सम्बन्ध में आर0एल0डब्ल्यु 1951 पेज 303 नौरतनमल बनाम हरिसिंह में प्रतिपादित किया कि "Limitation Act. S. 5-- Delay in filing appeal--Each day's delay after due date must be satisfactorily explained. It is the duty of an applicant, praying for indulgence under s 5 to explain each day's delay satisfactorily and if he fail to do so he cannot get the benefit of s. 5" इसी प्रकार आर0आर0डी0 1970 पेज 542 आर्य समाज शिक्षण संस्था, अजमेर बनाम श्री आदित्य नारायण में प्रतिपादित किया कि "Each day's delay from expiry of limitation held, not explained in compliance of provision of Sec. 5 - Collector acted illegally and with material irregularity in condoning delay on unwarranted and unjustified grounds-- Discretion to condone delay to be exercised judicially -- Sufficient reason explaining each day's delay must exist before exercise of such a discretion" आर0आर0टी0 2007 (2) पेज 939 डी0 गोपीनाथ पिल्लई बनाम स्टेट ऑफ केरल में यह प्रतिपादित किया कि "परिसीमा अधिनियम 1963–धारा –विलम्ब का उपशमन– अपील पेश करने में 3320 दिन का असाधारण विलम्ब– उचित रूप से एवं सन्तोषप्रद ढंग से विलम्ब स्पष्ट नही किया – सहानुभूति आधारों पर न्यायालय विलम्ब उपशमन नही कर सकता – असाधारण विलम्ब उपशमन हेतु कारण नही दिये गये – निर्णीत, आदेश संहवनीय नही है व अपास्त किया।" इसी प्रकार आर0आर0टी0 2007 (1) पेज 18 सत्तार खान व अन्य बनाम ब्रजलाल में यह प्रतिपादित किया कि "परिसीमा अधिनियम 1963 – विलम्ब का माफ करना – राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील पेश करने में 23 वर्ष का अप्रत्याशित विलम्ब – रेस्पोडेन्ट 'बी' पंचायत का प्रधान था और आवंटन सलाहकार समिति का सदस्य था – आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष उसने आपत्ति नही उठायी – आवेदन में बताये कारण न्यायसंगत नही कहे जा सकते – निर्णीत परिसीमा के बिन्दु पर ही अपील खारिज होने योग्य थी।" इसी प्रकार के तथ्य आर0आर0डी0 1984 पेज 261 अमराराम बनाम बृजलाल में भी प्रतिपादित किये गये है। हस्तगत प्रकरण पर उपरोक्त न्याय सिद्धान्त पूर्ण रूप से चस्पा होते है। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना,पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के अन्तर्गत ऐसा कोई कारण दर्शित नही किया गया है, जिससे देरी को कण्डोन किया जा सके। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकार के पर्याप्त पते के अभाव में प्रतिवादीगण के नाम जारी सम्मत को अखबार में प्रकाशित करवाने का आदेश पारित किया है, उसमें भी किसी प्रकार की त्रुटी नही है। उपरोक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील म्याद बाहर होने तथा गुणावगुण पर भी सारहीन होने के कारण पोषणीय नही पाई जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा सहायक कलक्टर सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 07/2006 उर्मिला बनाम विरेन्द्र कुमार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.03.2006 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 19.12.17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली